न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 175/2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 रामचन्द्र पुत्र श्रीराम उम्र 56 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 नायब तहसीलदार एवं उप पंजीयक उप तहसील गुढ़ागौडजी जिला झुंझुनू।
3 हल्का पटवारी ग्राम बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 बनवारी खान पुत्र मालखान उम्र 60 वर्ष जाति मिरासी निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
5 जयेश कुमार उम्र 13 वर्ष पुत्र निरंजन लाल हाल आबाद वार्ड नं. 8 सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू जरिये न्याय मित्र सुरेन्द्र कुमार जोशी उम्र 53 वर्ष पुत्र गोपीराम शर्मा मकान नम्बर 18 नये मुख्य डाकघर के पीछे चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ. धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1956
विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.05.16 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी बाईजलास बलदेव राम धोजक
आर.ए.एस. उनवानी रामचन्द्र बनाम तहसीलदार
बाबत घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित

1. श्री राजेश बागोलिया अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री धीरज अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–30.01.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा दावा संख्या 301/2015 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया कि की पैतृक अराजीयात खसरा नम्बर वर्तमान 885,931 है के पुराने खसरा नम्बर 619 मीन जिसके बाद में खसरा नम्बर 1133/1, 1134 बने तथा वर्तमान खसरा नम्बर 885 व 931 है। जिसका राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2 गलत दर्ज होने के कारण विवादित है विवादित अराजीयात का राजस्व रिकार्ड प्रथम सेटलमेंट के पूर्व ही नन्दलाल पुत्र मुखराम फौत होने के उपरान्त भी उनका राजस्व रिकार्ड चलता रहा जबकि श्रीराम पुत्र मुखराम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गया। नन्दलाल पुत्र मुखराम फौत होने के उपरान्त केवल वादी का नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए था, पर गलत राजस्व रिकार्ड नन्दलाल पुत्र मुखराम हिस्सा 1/2 रामचन्द्र पुत्र श्रीराम पुरोहित दर्ज है। निरजनलाल पुत्र नन्दलाल नाऔलाद फौत हो गया तथा जिनकी पत्नी पहले ही फौत हो चुकी है। इसलिए अब उनके परिवार के व्यक्ति के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

व्यक्ति गलत व झुंठे दस्तावेज बनाकर गलत राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर विवाद भूमि का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए आमादा है। अपने अधिकारों की रक्षार्थ यह वादपत्र घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती पेश किया गया है। अंत में निवेदन किया है कि वादी की पैत्रिक भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 1619 मीन तथा बाद के खसरा नम्बर 1133/1 व 1134 जिनका रकबा क्रमशः 0.07 हैक्टेयर व 1.35 हैक्टेयर तथा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 885 रकबा 0.07 हैक्टेयर तथा 931 रकबा 1.35 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर के गलत दर्ज1/2 हिस्से जो निरंजनलाल पुत्र नन्दलाल नाम गलत दर्ज हो गया था को दुरूस्ती किया जाकर वादी का नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जा काश्त व गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें विवादित अराजीयात को खुर्द बुर्द नहीं करे। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वादी का वाद खारिज किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आवश्यक पक्षकार के अभाव में दावा खारिज किया गया है गुणावगुण पर निर्णय पारित नही किया गया है। अधिकारों का निर्धारण गुणावगुण पर विवेचन के उपरान्त होना है अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा जिस पक्षकार के विरूद्व अनुतोष चाहा गया है उसे वाद में पक्षकार ही नही बनाया गया है। विचारण न्यायालय ने वाद खारिज करने में कोई त्रुटि नही की है। अपील खारिज की जायें।

LAio

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेंट संख्या 05 ने कथन किया है कि अपीलांट ने विवादित भूमि के सन्दर्भ में अलग–अलग कथनों के साथि भिन्न–भिन्न वाद प्रस्तुत किये है जिनमे अपीलांट के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे है अपीलांट का दावा चलने योग्य नही है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचाराधीन प्रकरण में वादी अपीलांट ने वाद में निरंजनलाल पुत्र नन्दलाल के नाम दर्ज है 1/2 हिस्से की खातेदारी स्वंय के नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहा किन्तु निरंजनलाल पुत्र नन्दलाल अथवा उसके वारिसान में से किसी को पक्षकार नही बनाया है विचारण न्यायालय में इसी आधार पर वादी का वाद नॉन जाईन्डर ऑफ पार्टीज के नुक्श के आधार पर खारिज किया गया है। जो पूर्णतया विधि सम्मत प्रतीत होता है इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

विवादित भूमि के सन्दर्भ में वादी अपीलांट के द्वारा विचारण न्यायालय में एक अन्य वाद संख्या 324/2011 भी प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 31.05.2013 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में अपने वाद में इस तथ्य को छिपाया है एवं अपील में भी इस सन्दर्भ मे कोई कथन नही किया है। इसकी जानकारी आदेश 01 नियम 10 के आवेदन के माध्यम से पक्षकार बनाये गये रेस्पोडेंट संख्या 05 ने न्यायालय को दी है। रेस्पोडेंट संख्या 05 ने आवेदन प्रस्तुत कर निरंजनलाल के हक हिस्से की भूमि का नामान्तकरण इनके नाबालिग पुत्र जयेश कुमार के नाम भरे जाने का आदेश देने हेतु निवेदन किया है।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत प्रकरण वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद के गुणावगुण के सन्दर्भ में है इस बाबत उपर विवेचन किया जा चुका है जिसके अनुसार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती है। जहां तक रेस्पोडेंट संख्या 05 के निवेदन का प्रश्न है इस सन्दर्भ में रेस्पोडेंट संख्या 05 विधिक प्रकिया अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

30.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर